न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह

प्रकरण क्रमांक निगरानी 268/ ...-पी /04 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-09-04 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 403/अपील/2003-04

रामशिरोमणि पिता श्री बधनराम ... ब्रा0
निवासी ग्राम- मुकुन्दपुर ...
जिला सतना म.प्र. ---- आवेदक

विरूद्ध

रानीबाई बेवा लालदास जंगी
निवासी ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना म.प्र. ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह

आदेश
(आज दिनांक 16·10·12 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 403/अपील/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 27-...-2004 के ... भू- राजस्व संहिता 1959 ... अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ... आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में ... की जिसमें उन्होंने दिनांक ...-9-2004 को आदेश पारित करते हुए ... न्यायालय के आदेश ... विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ... अपील ... की ... अपर आयुक्त ... की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में उद्धरित किये है

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य पर विचार कर अनावेदक के नामांतरण के आदेश दिए हैं तथा उनके आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है अतः निगरानी निरस्त की जाये

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया अभिलेख का अवलोकन किया गया यह प्रकरण नामांतरण से संबंधित है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अलग्नमा भूमि पर रानीबाई का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर वह विवादित भूमि पर वर्ष 1962 से आधिपत्यधारी है । इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को विचारण स्वीकार करने का कोई औचित्य न मानते हुए अपर आयुक्त ने अपील को ग्राह्यता के स्तर पर ही अमान्य किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि उन्होंने यह देखने का प्रयास ही नहीं किया कि अधिपत्य के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता जब तक कि स्वत्व प्रमाणित न हो । ऐसी स्थिति में यह प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे यह देखें कि प्रकरण में स्वत्व के संबंध में क्या कोई अन्य साक्ष्य या अभिलेख है और यदि कोई नहीं हैं तो प्रकरण में जांच कर पुनः विधिवत बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर